

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

जोगेन्द्र सिंह व अन्य

वादी

बनाम

राज्य सरकार

प्रतिवादी

दावा बाबत :- 22000 रु. के अर्थात् 22000 रु. के अर्थात्

प्रकरण संख्या 98/18 निर्णय दिनांक 24-5-18

वादी की ओर से जोगेन्द्र सिंह की व प्रतिवादी की ओर से राज्य सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24-5-2018 को महेश चन्द्र मान RAS (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्रमाणिक पर्चा डिक्री दी जाती है कि :-

हाल में पीठासीन अधिकारी महेश चन्द्र मान के द्वारा जारी की गई पर्चा नंबर 98/18 के अर्थात् 22000 रु. के अर्थात् जोगेन्द्र सिंह की राशि 22000 रु. के अर्थात् डिक्री किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अर्थात् हाल में डिक्री के अर्थात् डिक्री किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई।

(महेश चन्द्र मान)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०